



प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
अम्बेडकर नगर,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-26 मार्च, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-256/सा०-1/एक्स-120(187)/०7-निर्माण/2025-26, दिनांक-29.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद अम्बेडकर नगर के पशुचिकित्सालय पीठापुर आशाजीतपुर, तहसील भीटी के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु आगामी किश्त के रूप में ₹0-16.75 लाख (रुपये सोलह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (2) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्यान्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० का होगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट्यों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0 का होगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
- (13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,75,000 (रुपये सोलह लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403001010300 पशु चिकित्सालयों का निर्माण (जिला योजना) मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्र0सं0-81/2026/695(1)/सैंतीस-2-2026/004-1(41)/05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।